# संचालनालय महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

महिला एवं बाल विकास विभाग

खण्ड दो चतुर्थ तल, पर्यावास भवन,अ.रा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश

ई–icpsbhopal@gmail.com 0755.2551331, 2551196 फैक्स–0755.2577122 www. mpwe.in


क्रमांक / मबावि / 15 / ICFS / 34 भोपाल, दिनांक 6 –01 –2015

प्रति,

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी /
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ,
जिला – समस्त

विषय :– ट्रेक द मिसिंग चाईल्ड पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने के संबंध में।

संदर्भ :- संचालनालय के पत्र क्र. 600 दिनांक 16.04.13, 107 दिनांक 30.10.13, 453 दिनांक 27.12.13, 377 दिनांक 06.03.14, 1303 दिनांक 04.09.14,1441 दिनांक 20.10.14,1443 दिनांक 20.10.14 एवं शासन का पत्र क्र. पत्र क्र. 1974 दिनांक 13.11.2014।

समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय पोर्टल www.trackthemisingchild.gov.in का विकास किया गया है। वेबसाइट में **गुम हुए बच्चों के डाटाबेस के अलावा समेकित बाल संरक्षण योजना एवं किशोर न्याय अधिनियम के तहत संचालित संस्थाओं में रह रहे बच्चों की प्रगति से संबंधित जानकारी संकलित की जाती है।** पोर्टल का उद्देश्य पुलिस स्टेशन में दर्ज गुम हुए बच्चों का मिलान बाल संरक्षण तंत्र के अंतर्गत पाए गए एवं बचाए गए बच्चों से करना है।

ट्रेक चाईल्ड पोर्टल उसी दशा में सफल होगा जब प्रत्येक पर्णधारी द्वारा बच्चों की जानकारी शुद्धता पूर्वक एवं सतत रूप से वेबसाइट पर दर्ज की जायेगी।

निर्देशित किया जाता है कि नेशनल ट्रेकिंग सिस्टम में जिले में मान्यता प्राप्त संस्थाओं मे निवासरत, बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले समस्त बच्चों की जानकारी संस्था, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड में ही ऑनलाइन अपलोड करवाई जाय। साथ ही वेबसाइट पर दर्ज डेटा को अद्यतन भी किया जाय।

(हरीश कुमार खरे) 6/1/15
उप संचालक
महिला सशक्तिकरण
भोपाल म.प्र.

मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक / म.स.स. / 2014 / 1974 भोपाल दिनांक 13 .11.2014

प्रति,

कलेक्टर
जिला – समस्त
मध्यप्रदेश

**विषयः–** *www.trackthemissingchild.gov.in website* पर समस्त शासकीय / अशासकीय गृहो में निवासरत बच्चों की जानकारी अपलोड करने बाबत।

**संदर्भः–** संचालनालय का पत्र क्रमांक 1443 दिनांक 20.10.2014, पत्र क्रमांक 1303 दिनांक 04.09.2014, पत्र क्रमांक 1441 दिनांक 20.10.2014, क्रमांक 600 दिनांक 16.04.2014, क्रमांक 377 दिनांक 06.03.2014, क्रमांक 453 दिनांक 27.12.2013, क्रमांक 107 दिनांक 30.10.2013।

संचालनालय के संदर्भित पत्रों के द्वारा आपको एवं जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारियों को *www.trackthemissingchild.gov.in* पोर्टल पर शासकीय / अशासकीय संप्रेक्षण गृह, विशेषगृह, शिशुगृह, बालगृह, आश्रयगृह एवं खुला आश्रय गृह में निवासरत बालकों एवं किशोर न्याय बोर्ड / बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत होंने वाले बालकों की प्रविष्टि किये जाने के निर्देश दिये गये है। आज दिनांक तक 85 संस्थाओं द्वारा ही पोर्टल पर प्रविष्टि की गई है, जबकि सभी संस्थाओं की इस पोर्टल पर प्रविष्टि की जानी थी।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रचलित रिट पिटीशन (सिविल) क्रमांक 75 / 2012 बचपन बचाओ आंदोलन विरूद्ध भारत सरकार एवं अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायलय द्वारा मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन को दिनांक 20.11.14 को समस्त जानकारी के साथ उपस्थित होंने के निर्देश दिये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि *www.trackthemissingchild.gov.in* पोर्टल पर उपरोक्तानुसार समस्त संस्थाओं की जानकारी 2 दिवस में अपलोड करवा कर इस आशय का प्रमाण पत्र आयुक्त महिला सशक्तिकरण को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

(जे.एन.कांसोटिया)
प्रमुख सचिव
मध्य प्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग

संचालनालय महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश,
महिला एवं बाल विकास विभाग
जवाहर बाल भवन परिसर, स्टेड स्टॉप तुलसीनगर भोपाल दूरभाष–0755–2551196
ई–icpsbhopal@gmail.com www. mpwe.in, www.adoptionmp.in

क्रमांक/मबावि/14/ICPS / 1443 भोपाल, दिनांक 20.10.14

प्रति,

कलेक्टर,
जिला –समस्त
मध्यप्रदेश

विषयः–ट्रेक द मिसिंग चाईल्ड पोर्टल पर बच्चो की जानकारी अपलोड करने के संबंध में।

किशोर न्याय अधिनियम 2000 के तहत् विधि का उल्लघंन करने वाले एवं देखरेख और संरक्षण के जरूरतमंद बालको( निराश्रित, बेसहारा, घर से भागे हुए एवं गुम हुए) हेतु संचालित समस्त वैधानिक संस्थाओं यथा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, पुलिस एवं उक्त प्रकार के बालकों को संरक्षण प्रदान कर रही अधिनियम के तहत् संचालित समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं को ट्रेक द मिसिंग चाईल्ड पोर्टल पर बच्चो की जानकारी अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

याचिका क्रमांक 75/2013 बचपन बचाओं आंदोलन विरूद्ध भारत सरकार में मुख्य सचिव म0प्र0 शासन की ओर से दिनांक 31.10.2014 को शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।

अतः कृपया जिले में सचंलित समस्त वैधानिक संस्थाओं यथा किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति, समस्त शासकीय एवं अशासकीय संस्थाओं का डाटा 03 दिवस के अंदर www. Trackthemisingchild बेबसाईट पर फीड करवाकर। इस आशय का प्रमाण पत्र भेजने का कष्ट करें। कृपया इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावे।

Kl
(कल्पना श्रीवास्तव)
आयुक्त
महिला सशक्तिकरण



genral

पृ. क./आईसीपीएस/14/ICPS /1554 भोपाल, दिनांक 20-10-17

प्रतिलिपि :--

1. जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी जिला समस्त की ओर सूचनार्थ एवं इस यदि डाटा फीडिंग में समस्या आने पर श्री अमित चर्तुवेदी से मोबा. क्रमांक 094243--62928 पर संपर्क किया जा सकता है।

आयुक्त
महिला सशक्तिकरण

# संचालनालय महिला सशक्तिकरण मध्यप्रदेश

महिला एवं बाल विकास विभाग
खण्ड दो चतुर्थ तल, पर्यावास भवन अरेरा हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश
ई–icpsbhopal@gmail.com 0755.2551331, 2551196 फैक्स–0755.2577122 www. mpwe.in

क्रमांक / मबावि / 14 / ICPS / 1551 भोपाल, दिनांक 20–10 –2014

प्रति,

जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी /
जिला बाल संरक्षण अधिकारी ,
जिला – समस्त

विषय :– ट्रेक द मिसिंग चाईल्ड पोर्टल पर जानकारी अपलोड करने, के संबंध में।

संदर्भ :- संचालनालय के पत्र क्र. 107 दिनांक 30.10.13, 453 दिनांक 27.12.13, 377 दिनांक 06.03.14 एवं1303 दिनांक 04.09.2014 ।

समेकित बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय पोर्टल www.trackthemisingchild.gov.in का विकास किया गया है। वेबसाइट में **गुम हुए बच्चों के डाटाबेस के अलावा समेकित बाल संरक्षण योजना एवं किशोर न्याय अधिनियम के तहत संचालित संस्थाओं में रह रहे बच्चों की प्रगति से संबंधित जानकारी संकलित की जाती है** । संस्थाओं में प्रवेशित बच्चों का मिलान पुलिस विभाग में पंजीकृत गुम हुए बच्चों से किया जाता है ।

इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र. 75 बचपन बचाओ आन्दोलन विरुद्ध भारत शासन 2012 की सुनवाई के दौरान 10 मई 2013 को गुम हुए बच्चों को खोजने हेतु FIR पंजीकृत करने एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) को गुम हुए बच्चों के त्वरित पारिवारिक पुनर्वास हेतु एक कंप्यूटर आधारित नेटवर्क का विकास करने हेतु दिशा निर्देश प्रदान किये गए हैं । इसके अतिरिक्त उक्त वेबसाइट में मान्यता प्राप्त समस्त संस्थाओं में निवासरत, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले प्रत्येक बच्चे की प्रविष्ट करने हेतु दिनांक 29.09.2014 को ट्रेक चाईल्ड प्रोजेक्ट के विषय में भोपाल में आयोजित क्षेत्रीय परामर्श में अवगत कराया गया है ।

अतः निर्देशित किया जाता है कि ट्रेक द मिसिंग चाईल्ड वेबसाईट में जिले में मान्यता प्राप्त संस्थाओं में निवासरत समस्त बच्चों, बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष उपस्थित होने वाले समस्त बच्चों की जानकारी संस्था, बाल कल्याण समिति एवं किशोर न्याय बोर्ड में ही ऑनलाइन अपलोड करवाई जाना सुनिश्चित करें । यदि बाल कल्याण समिति / किशोर न्याय बोर्ड